न्यायमूर्ति एम. जेपॉल और न्यायमूर्ति डॉ. भारत भूषण पारसून के समक्ष

विनोद - याचिकाकर्ता

बनाम

श्रीमती. पूनम-प्रतिवादी

एफएओ संख्या 3365/2011

12 सितंबर 2014

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 - धारा 13(1)(ia) और 13(1)(ib) - क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक - पक्षों के बीच विवाह हुआ और तीन बच्चे पैदा हुए - विवाह विच्छेद के लिए याचिका में, पति ने दलील दी कि पत्नी तीन नाबालिग बच्चों को छोड़कर वैवाहिक घर छोड़ गई है; कि जब पति उसे वापस लाने के लिए उसके मायके गया तो उसने वापस आने से इंकार कर दिया और उसके साथ दुर्व्यवहार भी किया; पत्नी और उसके माता-पिता ने पति को धमकी दी कि अगर वह दोबारा उसके पास आया, तो वे उसे दहेज के मामले में फंसा देंगे और पत्नी ने उसके और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आईपीसी की धारा 498-ए, 406 और 506 के तहत झूठा आपराधिक मामला दर्ज कराया- पत्नी ने इन आरोपों से इनकार किया और पति और उसके परिवार के सदस्यों पर पर्याप्त दहेज न लाने के कारण उस पर क्रूरता करने का आरोप लगाया - जिला न्यायाधीश ने पति की तलाक की याचिका खारिज कर दी

- माना कि धारा 498 ए, 406 और 506 आईपीसी के तहत पति के खिलाफ लगाए गए आरोप को साबित करने के लिए कोई सामग्री या सबूत नहीं था और पत्नी इसे साबित करने में विफल रही - अपने ससुर के खिलाफ निराधार आरोप - झूठी आपराधिक शिकायत के कारण जमानत पर रिहा होने तक पति जेल में था - पत्नी द्वारा क्रूरता का उच्चतम रूप - स्पष्ट है कि पत्नी ने वैवाहिक घर और नाबालिग बच्चों को छोड़ दिया, पति ने वैवाहिक घर में शामिल होने के इरादे के बिना ही उसे छोड़ दिया - परिणामस्वरूप, पति ने तलाक की डिक्री दे दी।

माना गया कि ट्रायल कोर्ट भी इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि पति के खिलाफ आईपीसी की धारा 498-ए, 406 और 506 के तहत आरोप को साबित करने के लिए कोई सामग्री या सबूत नहीं था और पत्नी इसे साबित करने में विफल रही थी। हालाँकि ट्रायल कोर्ट ने पति को यह कहते हुए बरी कर दिया था कि यह "संदेह के लाभ के कारण" था, लेकिन वास्तव में, पत्नी के पूरे मामले को योग्यता के आधार पर भी खारिज कर दिया गया है।

(पैरा 20)

आगे कहा गया, कि अगर हम पत्नी द्वारा एफआईआर में लगाए गए आरोपों पर गौर करें, तो यह ध्यान देने योग्य है कि उसने अपने ससुर हंस राज के खिलाफ भी आरोप लगाए थे कि उन्होंने "पत्नी की गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की थी।" कई बार शिकायत की" पत्नी ने इस संबंध में भी अपने आरोपों के समर्थन में कोई सामग्री या सबूत उपलब्ध नहीं कराया था।

(पैरा 23)

इसके अलावा, यह भी कहा गया कि पति के पिता के खिलाफ निराधार आरोप भी लगाए गए थे कि उन्होंने "कई मौकों पर उसकी विनम्रता को ठेस पहुंचाई"। पति को अभियोजन का सामना करना पड़ा और वह जमानत पर रिहा होने तक विचाराधीन जेल में था। यह पत्नी द्वारा क्रूरता का उच्चतम रूप है।

(पैरा 25)

आगे कहा गया कि जहां तक परित्याग के आधार का सवाल है, पत्नी ने वैवाहिक घर छोड़ दिया था। उसके द्वारा यह तर्क दिया गया कि पति और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा उसे कई बार पीटा गया था और दहेज की मांग की गई थी और मृत माता-पिता की संपत्ति में अधिकार का दावा करने के लिए उस पर दबाव भी डाला गया था। यहां तक कि उसके गवाह यानी उसके भाई नरेंद्र सिंह और उसके चाचा रूप चंद भी उसके जैसे ही समझदार थे और उसके दावे को साबित नहीं कर सके।

(पैरा 27)

आगे कहा गया, यह स्पष्ट है कि अपने तीन नाबालिग बच्चों, जिनमें से दो स्कूल जा रहे हैं, को छोड़कर, वह नाबालिग बच्चों की शैक्षिक और अन्य हितों को खतरे में डालते हुए वैवाहिक घर से दूर रहती है। यह भी एक तथ्य है कि वैवाहिक घर और अपने बच्चों से लंबे समय तक दूर रहने के बावजूद, उन्होंने कभी भी मुलाक़ात के अधिकार या बच्चों की अभिरक्षा की माँग नहीं की।

(पैरा 30)

इसके अलावा, यह माना जाता है कि किसी भी कोण से देखने पर, पति का दावा है कि पत्नी द्वारा एफआईआर में घृणित आरोप लगाकर एकतरफा उत्पीड़न के कारण उसे प्रताड़ित किया गया है, जो निराधार रहा और इसके अलावा उसे बदनामी के साथ-साथ जेल में भी रहना पड़ा। विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में रहना, एक तथ्य है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। यह भी स्पष्ट है कि पत्नी ने वैवाहिक घर और नाबालिग बच्चों को छोड़कर, वैवाहिक घर में शामिल होने के इरादे से पति को छोड़ दिया। परित्याग होने के साथ-साथ, यह उसकी ओर से अत्यधिक क्रूरता भी है।

(पैरा 32)

एस.के. चौहान, अपीलकर्ता-पति के वकील

आदर्श जैन, प्रतिवादी-पत्नी के वकील

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. भारत भूषण पारसून

(1) अपीलकर्ता-पति विनोद (संक्षेप में, पति) द्वारा दायर आदेश के खिलाफ यह पहली अपील जिला न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, फरीदाबाद की अदालत द्वारा दिनांक 27.1.2011 को पारित फैसले और डिक्री के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत धारा 13 के

तहत उनकी याचिका प्रतिवादी-पत्नी श्रीमती के साथ 17.6.1998 को हुए उनके विवाह के विघटन के लिए हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (इसके बाद अधिनियम के रूप में उल्लिखित) के तहत अधिनियम की धारा 13(1)(ia) और 13(1)(ib) के प्रावधानों के संदर्भ में क्रूरता और परित्याग के आधार पर पूनम (संक्षेप में, पत्नी) को बर्खास्त कर दिया गया था।

(2) विवाह के बाद, दोनों पक्ष गाँव छायंसा, तहसील बल्लभगढ़, जिला फ़रीदाबाद में अपने वैवाहिक घर में बस गए और उनके तीन बच्चे पैदा हुए। याचिका दायर करने के समय यानी 17.9.2007 को, सभी 7 से 3 साल की उम्र के बीच नाबालिग थे, बड़ी और छोटी बेटी थी।

(3) क्रूरता के आधार को विस्तृत करते हुए, पति द्वारा निम्नानुसार दलील दी गई थी:

(i) पत्नी उसे पसंद नहीं करती थी और वह किसी और से शादी करना चाहती थी लेकिन अपने माता-पिता के दबाव में उसने उससे शादी कर ली थी;

(ii) वह पति, उसके माता-पिता और उसके परिवार के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार करती थी;

(iii) उसने कपड़े धोने, भोजन तैयार करने, घर में झाड़ू लगाने और बर्तन साफ करने जैसे अपने घरेलू कर्तव्यों का पालन करने से इनकार कर दिया था;

(iv) वह अपने माता-पिता के घर जाने के लिए वैवाहिक घर छोड़ देती थी जहां वह काफी समय तक रहती थी और इस तरह अक्सर होता था;

(v) वह नाबालिग बच्चों की देखभाल नहीं कर रही थी और जब वह अपने माता-पिता के घर जा रही थी, तब भी वह बच्चों का भरण-पोषण करने और उनके पालन-पोषण की जिम्मेदारी लेने से इनकार करते हुए उन्हें पीछे छोड़ रही थी। दो बड़े बच्चे स्कूल जा रहे थे लेकिन वह उनका साथ नहीं दे रही थी; और,

(vi) वह धमकी देती थी कि उसके पति और उसके परिवार के सदस्यों को दहेज और अन्य गैर-जमानती अपराधों के झूठे मामले में फंसा दिया जाएगा।

(4) जहां तक परित्याग के आधार का सवाल है, पति ने कहा था कि पत्नी 10.6.2006 को बिना किसी उचित कारण के अपने आभूषण और अन्य कीमती सामान लेकर तीन नाबालिग बच्चों को छोड़कर वैवाहिक घर से चली गई थी। 15.7.2007 को जब पति उसे वापस लाने के लिए उसके मायके गया तो उसने न केवल वापस आने से इंकार कर दिया बल्कि उसके साथ दुर्व्यवहार भी किया। पत्नी और उसके माता-पिता ने भी पति को धमकी दी थी कि अगर वह दोबारा उसके पास आया तो वे उसे दहेज के मामले में फंसा देंगे।

(5) ऐसा दावा किया जाता है कि सम्मानित पंचायत सदस्यों के हस्तक्षेप के बावजूद भी उसे वापस लाने के प्रयास विफल रहे। इस संबंध में अंतिम प्रयास 31.7.2007 को किया गया था जिसमें पति, उसके पिता, उसका भाई और समाज के अन्य प्रतिष्ठित लोग उसे वापस लाने के लिए गए थे लेकिन पत्नी ने वैवाहिक घर में वापस आने से इनकार कर दिया था।

(6) पत्नी ने क्रूरता के इन सभी आरोपों से इनकार करते हुए पति और उसके परिवार के सदस्यों पर उसके और उसके बच्चों के प्रति कथित असभ्य और क्रूर व्यवहार द्वारा उस पर

क्रूरता कायम रखने का आरोप लगाया। यह दावा किया गया है कि "उसे पति और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा पीटा गया था और उसके बच्चों के साथ वैवाहिक घर से बाहर निकाल दिया गया था"। आगे बताया गया कि 2000 में उसकी मां और 2001 में उसके पिता की मृत्यु के बाद पति और उसके परिवार के सदस्यों की नजर उसके माता-पिता की संपत्ति पर थी। उनसे उनके माता-पिता की संपत्ति में अपने हिस्से का दावा करने के लिए कहा गया और जब उन्होंने पति और उसके परिवार के सदस्यों की इस इच्छा को पूरा करने से इनकार कर दिया, तो उन्हें वैवाहिक घर से बाहर निकाल दिया गया।

(7) उनके द्वारा इसे और विस्तार से बताया गया है कि जब वे 16.9.2007 को उसके वैवाहिक घर गए थे, तो मामले को सुलझाने के लिए कुछ सम्मानित व्यक्तियों के साथ मिलकर उनके प्रयास व्यर्थ साबित हुए क्योंकि पति और उनके परिवार के सदस्यों ने गांव छोड़ दिया था और उपलब्ध नहीं थे. उनका दावा है कि 18.9.2007 को जब दोबारा ऐसी कोशिश की गई तो उन्होंने बच्चों से मिलने की कोशिश की तो उन्हें पीटा गया. पति द्वारा धमकी दी गई कि जब तक वह एक हीरो होंडा मोटरसाइकिल और 1,00,000/- रुपये नकद नहीं लाएगी, उसे वैवाहिक घर में नहीं आने दिया जाएगा। धमकी दी गई कि अगर पत्नी दोबारा आई तो उसे उसके भाई और पंचायत के सदस्यों के साथ मार दिया जाएगा। याचिका को खारिज करने की मांग की गई.

(8) मामले पर निर्णय लेने के लिए, 11.9.2008 को जिला न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, फ़रीदाबाद द्वारा निम्नलिखित मुद्दों का निपटारा किया गया:

1.क्या प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता के साथ क्रूरता से व्यवहार किया है, जैसा कि आरोप लगाया गया है?

2.क्या याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, यदि हां तो इसका क्या प्रभाव होगा?

3. राहत.

(9) पार्टियों द्वारा मौखिक और साथ ही दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त करने और उनके वकील को सुनवाई प्रदान करने के बाद, पति के खिलाफ मुद्दा नंबर 1 और पत्नी द्वारा दबाव नहीं डाले जाने के कारण मुद्दा नंबर 2 का फैसला करते हुए, तलाक की याचिका 27.1.2011 को खारिज कर दी गई।

(10) इस फैसले और डिक्री पर आपत्ति जताते हुए, पति द्वारा यह दावा किया गया है कि सबूतों को गलत तरीके से पढ़ा गया है, गलत समझा गया है और मामले के तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप उसके प्रति बहुत बड़ा पूर्वाग्रह पैदा हुआ है। ट्रायल कोर्ट के दृष्टिकोण को अनुमान आधारित बताते हुए यह दावा किया गया है कि मामले पर असर डालने वाले महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज कर दिया गया।

(11) फिर यह दलील दी गई कि इस बात के प्रचुर सबूत हैं कि पत्नी ने अपीलकर्ता/पति के साथ क्रूरता का व्यवहार किया था और वह परित्याग की दोषी थी। आगे कहा गया है कि पत्नी ने उसके और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ झूठा आपराधिक मामला दर्ज कराया था और यह पत्नी की ओर से क्रूरता साबित करने के लिए पर्याप्त था। आगे यह दलील

दी गई है कि दोनों पक्षों के बच्चे उसके साथ रह रहे हैं और प्रतिवादी/पत्नी उनकी देखभाल नहीं कर रही थी और उनके पालन-पोषण के प्रति अपने दायित्व को पूरा नहीं किया था।

(12) यह भी कहा जा रहा है कि शादी के इतने साल बाद और इस विवाह से तीन बच्चे पैदा होने के बाद, उसके द्वारा 1,00,000 रुपये और हीरो होंडा मोटरसाइकिल की मांग की गई, जैसा कि पत्नी ने आरोप लगाया है। अविश्वसनीय है. यह आग्रह किया गया है कि हंस राज (पीडब्लू 2) और बाबू लाल (पीडब्लू 3) के बयान से पति के बयान की पुष्टि होने के बावजूद, निचली अदालत ने पत्नी के सबूतों पर विश्वास करना पसंद किया था जो न केवल अस्थिर थे बल्कि पूरी तरह से कमजोर थे। विसंगतियाँ अपील स्वीकार करने की मांग की गई है।

(13) इस अपील के लंबित रहने के दौरान, 2013 का सीएम नंबर 22450-सीआईआई पति द्वारा दायर किया गया था और पत्नी द्वारा कोई आपत्ति नहीं किए जाने पर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, फरीदाबाद द्वारा दिनांक 18.7.2013 का निर्णय पारित किया गया था, जिसके तहत पति को दोषी ठहराया गया था। आईपीसी की धारा 498-ए, 406 और 506 के तहत आरोप से बरी कर दिया गया, जिसे रिकॉर्ड पर लिया गया।

(14) दलीलों को संबोधित करते हुए, अपीलकर्ता/पति के वकील ने आग्रह किया है कि पत्नी द्वारा क्रूरता को खुला छोड़ दिया गया था और पत्नी द्वारा पति के प्रति क्रूरता के सिद्ध उदाहरण हैं। यह दावा किया जाता है कि पत्नी द्वारा पति के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराना, जिसके परिणामस्वरूप अंततः वह बरी हो गया, भी उसकी ओर से क्रूरता का पर्याप्त सबूत है। आगे यह भी आग्रह किया गया है कि पत्नी 10.6.2006 को तीन नाबालिग

बच्चों को छोड़कर वैवाहिक घर से चली गई थी और उसके बाद कभी वापस नहीं लौटी। इस प्रकार, यह दावा किया जाता है कि पत्नी के खिलाफ परित्याग का आधार भी साबित होता है।

(15) दूसरी ओर, प्रतिवादी/पत्नी के वकील ने तर्क दिया है कि उसे परेशान किया जा रहा था और यातना दी जा रही थी और पति द्वारा उसके माता-पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा करने के लिए बहुत दबाव डाला गया था और रुपये नकद लाने के लिए भी कहा गया था। .1,00,000/- और हीरो होंडा मोटरसाइकिल और इस प्रकार वैवाहिक घर से दूर रहना उचित था। आग्रह किया गया है कि हालांकि बार-बार सम्मानित व्यक्तियों की पंचायत के दौरे से गतिरोध को सुलझाने का प्रयास किया गया लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका क्योंकि पति पत्नी को अपने साथ नहीं रखने पर अड़ा था। आक्षेपित निर्णय और डिक्री की वैधता और वैधानिकता पर जोर दिया गया है।

(16) पेपर बुक का अवलोकन करते हुए पक्षकारों के वकील को सुनवाई प्रदान की गई है।

(17) दोनों पक्षों के बीच विवाह 17.6.1998 को हुआ। पार्टियों के तीन बच्चे पैदा हुए। याचिका दायर करने के समय, सबसे बड़ी संतान बेटी होने के कारण 7 वर्ष की थी, दूसरे पुत्र के रूप में 5 वर्ष की थी और तीसरी पुत्री होने के कारण 3 वर्ष की थी। पत्नी 10.6.2006 को वैवाहिक घर छोड़कर चली गई थी।

(18) पत्नी का दावा है कि पति की ओर से क्रूरता थी क्योंकि वह और उसके रिश्तेदार उसके द्वारा लाए गए दहेज के सामान से संतुष्ट नहीं थे और वे एक हीरो होंडा मोटरसाइकिल और

1,00,000/- रुपये की मांग कर रहे थे। नकदी इत्यादि को 27.12.2007 को उसके द्वारा पुलिस में की गई शिकायत का हिस्सा बनाया गया था, जबकि पति द्वारा 17.9.2007 को विवाह विच्छेद की मांग के लिए याचिका दायर की जा चुकी थी जिसमें उसने विशिष्ट आरोप लगाया था कि पत्नी उसे और उसके परिवार वालों को दहेज मांगने के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देती थी। विवाह के बाद तीन बच्चों के जन्म के बाद और शादी के 8 साल बाद, दहेज की ऐसी मांग न तो विश्वसनीय है और न ही कानूनी रूप से उचित है।

(19) पत्नी द्वारा थाना छांयसा में दर्ज धारा 498-ए, 406 और 506 आईपीसी के तहत एफआईआर संख्या 164 दिनांक 27.12.2007 पर, पति को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। यहां तक कि उसके ससुर, ननद और दो देवरों को भी पत्नी ने फंसाया था, लेकिन जांच के दौरान, वे निर्दोष पाए गए और परिणामस्वरूप, उनके खिलाफ कोई आरोप पत्र दायर नहीं किया गया। निडर होकर, पति के मुकदमे के दौरान, पत्नी ने पति के इन रिश्तेदारों को अतिरिक्त आरोपी के रूप में बुलाने के लिए सीआरपीसी की धारा 319 के तहत एक आवेदन भी दायर किया था। उनसे असहमति जताते हुए कोर्ट ने ऐसे आवेदन को खारिज कर दिया.

(20) ट्रायल कोर्ट भी इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि पति के खिलाफ आईपीसी की धारा 498-ए, 406 और 506 के तहत आरोप को बनाए रखने के लिए कोई सामग्री या सबूत नहीं था और पत्नी इसे साबित करने में विफल रही थी। हालाँकि ट्रायल कोर्ट ने पति को यह कहते हुए बरी कर दिया था कि यह "संदेह के लाभ के कारण" था, लेकिन वास्तव में, पत्नी के पूरे

मामले को योग्यता के आधार पर भी खारिज कर दिया गया है। धारा 498-ए आईपीसी के तहत आरोप के संबंध में, ट्रायल कोर्ट ने निम्नानुसार निष्कर्ष निकाला था:

"सिर्फ इसलिए कि शिकायतकर्ता ने अपनी मुख्य जांच में कहा कि आरोपी ने किसी भी मौके पर उससे एक मोटरसाइकिल और 1 लाख रुपये नकद की मांग की, इससे उसका मामला साबित नहीं होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान मामला केवल वैवाहिक कलह का मामला है जहां शिकायतकर्ता और उसके पति एक-दूसरे के साथ सामंजस्य नहीं रखते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि शिकायतकर्ता को दहेज की मांग के संबंध में प्रताड़ित किया गया है। केवल इसलिए कि शिकायतकर्ता अपने माता-पिता के घर पर रह रही है, आईपीसी की धारा 498-ए के तहत अपराध साबित नहीं होता है।

(21) आईपीसी की धारा 406 के तहत आरोप के संबंध में, ट्रायल कोर्ट का निष्कर्ष इस प्रकार है

"इसके अलावा, आईपीसी की धारा 406 भी साबित नहीं होती है क्योंकि अभियोजन पक्ष द्वारा दहेज के सामान को आरोपी को सौंपने के तथ्य के बारे में कोई सबूत नहीं दिया गया है और इस प्रकार यह आरोप भी आरोपी के खिलाफ विफल हो जाता है।"

(22) आईपीसी की धारा 506 के तहत उसके दावे को साबित करने के लिए कोई सामग्री नहीं मिलने पर, इस आरोप को भी पति के खिलाफ साबित नहीं माना गया।

(23) अगर हम पत्नी द्वारा एफआईआर में लगाए गए आरोपों पर गौर करें, तो यह ध्यान देने योग्य है कि उसने अपने ससुर हंस राज के खिलाफ भी आरोप लगाए थे कि उन्होंने

शिकायतकर्ता की गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की थी। कई बार"। पत्नी ने इस संबंध में भी अपने आरोपों के समर्थन में कोई सामग्री या सबूत उपलब्ध नहीं कराया था।

(24) भले ही इस फैसले के पहले भाग में पैरा 3 (i) से (v) में सूचीबद्ध पति के मामले के अन्य सभी पहलू उसकी पत्नी के रूप में दायित्वों को पूरा न करने जैसे घरेलू काम आदि के बारे में हों। पति के क्रूरता के आरोपों के आधार पर वैवाहिक जीवन की सामान्य टूट-फूट को नजरअंदाज कर दिया गया कि पत्नी बार-बार पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ झूठा आपराधिक मुकदमा शुरू करने की धमकी देती थी, जब उसके द्वारा 27 दिसंबर को एफआईआर दर्ज की गई थी। 2007 (जिसके परिणामस्वरूप अंततः पति की गिरफ्तारी हुई, हालांकि बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया और अंततः बरी भी कर दिया गया) सच हो गया। पत्नी के वकील ने माना कि इस फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं की गई है।

(25) पति के पिता के खिलाफ निराधार जंगली आरोप भी लगाए गए कि उन्होंने "कई मौकों पर उसकी विनम्रता को ठेस पहुंचाई"। पति को अभियोजन का सामना करना पड़ा और वह जमानत पर रिहा होने तक विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में था। यह पत्नी द्वारा क्रूरता का उच्चतम रूप है।

(26) भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने के. श्रीनिवास राव बनाम डी.ए. दीपा1 ने माना था कि अगर कोई पत्नी पति के खिलाफ झूठे आरोप लगाते हुए आईपीसी की धारा 498-ए के तहत एफआईआर दर्ज कराती है, तो यह पति के प्रति अत्यधिक मानसिक क्रूरता है।

इसे सुरिंदर मोहन चोपड़ा बनाम श्रीमती मामले में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा आगे रखा गया था। निर्मला चोपड़ा2 कि भले ही पत्नी द्वारा कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया गया है, लेकिन उसके द्वारा पति के खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए हैं, यह पति को विवाह विच्छेद की मांग करने के लिए उचित आधार प्रदान करने वाली क्रूरता है। इसी तरह का विचार भावना एन. शाह बनाम नितिन चिमनलाल शाह में व्यक्त किया गया है; भावना सखारे बनाम विजयकुमार सखारे 4 और रमेश लक्ष्मण सोनावणे। बनाम मीनाक्षी रमेश सोनावणे5.

(27) जहां तक परित्याग के आधार का सवाल है, पत्नी ने 10.6.2006 को वैवाहिक घर छोड़ दिया था। उसके द्वारा प्रदान किया गया औचित्य यह है कि उसे पति और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा कई बार पीटा गया था और दहेज की मांग की गई थी और मृत माता-पिता की संपत्ति में अधिकार का दावा करने के लिए उस पर दबाव भी आरडब्ल्यू 1 के रूप में पेश होने से प्रमाणित नहीं किया जा सकता था। यहां तक कि उसके गवाह यानी उसके भाई नरेंद्र सिंह (आरडब्ल्यू 2) और उसके चाचा रूप चंद (आरडब्ल्यू 3) भी उसकी तरह ही गंभीर थे और उसके दावे को साबित नहीं कर सके।

(28) निचली अदालत द्वारा उसके कथन पर विश्वास करना कि जब वह 16.9.2007 को एक पंचायत में अपने सम्मानित लोगों को साथ लेकर अपने बच्चों से मिलने गई थी तो उसे चोटें लगी थीं, जबकि एक गैर-मौजूद मेडिको-लीगल रिपोर्ट पर भरोसा करना उचित नहीं था। पति का आरोप है कि दरअसल, उसकी मां को उसके और उसके भाई नरेंद्र सिंह ने उस

समय चोटें पहुंचाई थीं, जब वह अपने भाई और समूह के अन्य सदस्यों के साथ जबरन उसके घर में घुस गई थी और अपीलकर्ता को डराने-धमकाने के लिए हंगामा किया था। /पति।

(29) किसी भी मामले में, यह कथित घटना उस तारीख से बाद की तारीख की है जब उसने वैवाहिक घर छोड़ा था और यह किसी भी तरह से उसके दावे का समर्थन नहीं करता है कि वैवाहिक घर में उसे कई बार पीटा गया था जिससे उसे वहां से निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा।

(30) यह स्पष्ट है कि अपने तीन नाबालिग बच्चों, जिनमें से दो स्कूल जा रहे हैं, को छोड़कर, वह नाबालिग बच्चों की शैक्षिक और अन्य हितों को खतरे में डालते हुए वैवाहिक घर से दूर रहती है। यह भी एक तथ्य है कि वैवाहिक घर और अपने बच्चों से लंबे समय तक दूर रहने के बावजूद, उन्होंने कभी भी मुलाक़ात के अधिकार या बच्चों की अभिरक्षा की माँग नहीं की।

(31) उसके ऐसे आचरण के बाद, जिसके कारण उसे जेल जाना पड़ा, पति द्वारा उसे वापस लेने से इनकार करना अनुचित नहीं है, जब कि आपराधिक अदालत ने उसे सही साबित कर दिया हो।

(32) किसी भी कोण से देखने पर, पति का दावा है कि उसे पत्नी द्वारा एफआईआर में निंदनीय आरोप लगाकर एक तरफा उत्पीड़न के कारण प्रताड़ित किया गया है, जो निराधार रहा और इसके अलावा उसे बदनामी का सामना करना पड़ा और साथ ही घर में रहना

पड़ा। विचाराधीन कैदी के रूप में जेल जाना एक तथ्य है। यह भी स्पष्ट है कि पत्नी ने वैवाहिक घर और नाबालिग बच्चों को छोड़कर, वैवाहिक घर में शामिल होने के इरादे से पति को छोड़ दिया। परित्याग होने के साथ-साथ, यह उसकी ओर से अत्यधिक क्रूरता भी है।

(33) जैसा कि पहले चर्चा की गई है, तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, मुद्दे नंबर 1 पर निचली अदालत के निष्कर्ष न तो तथ्यों पर और न ही कानून में टिकाऊ हैं। परिणामस्वरूप, उक्त निष्कर्षों को उलटते हुए, यह मामला पति के पक्ष में और पत्नी के विरुद्ध तय किया गया है।

(34) क्रमिक रूप से, निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को रद्द कर दिया जाता है और अपील की अनुमति दी जाती है। परिणामस्वरूप, पति को पत्नी के साथ विवाह विच्छेद करके तलाक की डिक्री प्रदान की जाती है। तदनुसार डिक्री पत्र तैयार किया जाए।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आयुष गर्ग

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

पलवल, हरियाणा